न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 59 / 2025	2025 / 242	01.05.2025	04.06.2025

1– सहायक नोडल अधिकारी आयुर्वेद विभाग जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1725 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

उपस्थित–

01. ------------ – विभागीय प्रतिनिधि

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 1775 निर्णय 25.11.2024 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय फतियाबाद को आराजी खसरा न0 216 / 0.16 है0 में से 1/4 भाग अर्थात 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में दान की गयी है, विभाग के नाम दान की आराजी का नामान्तकरण विभाग के नाम दर्ज करवाये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात विभाग द्वारा पटवारी हल्का बधेरीकला को दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा विभाग को दान की गयी भूमि के दस्तावेज के अनुसार विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 1775 दिनाक 28.10.2024 को दर्ज किया जाकर वास्ते स्वीकृति हेतु तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा उक्त नामान्तकरण दान पत्र से नामान्तकरण मेल नही कर रहा है, दान पत्र में दानकर्ता एक ही व्यक्ति है, जबकि दानपत्र में अलग–अलग नाम के दो व्यक्ति है, मुताबिक रिकार्ड दुरस्ती कर बाद संशोधित नामान्तकरण प्रस्तुत करे। अतः निवेदन है, कि विभाग के नाम दान की आराजी का नामान्तकरण विभाग के नाम कराये जाने आदेश दिये जावें। ताकि विभाग के नाम दान की भूमि पर मौके पर राज्य सरकार के आदेशानुसार निर्माण कार्य आदि करवाये जा सके। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.11.2024 नामान्तरण संख्या 1775 वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय फतियाबाद को आराजी खसरा न0 216/0.16 है0 में से 1/4 भाग अर्थात 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में दान की गयी है, विभाग के नाम दान की आराजी का नामान्तकरण विभाग के नाम दर्ज करवाये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात विभाग द्वारा पटवारी हल्का बधेरीकला को दिये गये। पटवारी हल्का द्वारा विभाग को दान की गयी भूमि के दस्तावेज के अनुसार विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 1775 दिनाक 28.10.2024 को दर्ज किया जाकर वास्ते स्वीकृति हेतु तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा उक्त नामान्तकरण दान पत्र से नामान्तकरण मेल नही कर रहा है, दान पत्र में दानकर्ता एक ही व्यक्ति है, जबकि दानपत्र में अलग–अलग नाम के दो व्यक्ति है, मुताबिक रिकार्ड दुरस्ती कर बाद संशोधित नामान्तकरण प्रस्तुत करे। तहत अदालत के रिकार्ड/ पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 107 सम्वत 2069–2072 में आराजी खसरा न0 216/0.16 है0 भूमि खातेदार मलिक मथुरादास पुत्र रामशरण 1/4 महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 122 सम्वत 2073–2076 में आराजी खसरा न0 216/0.16 है0 भूमि खातेदार मथुरादास पुत्र रामशरण हिस्सा 1/8 जाति महाजन साकिन देह, मलिक पुत्र रामशरण हिस्सा 1/8 जाति महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अर्थात जमाबन्दी संम्वत 2073–2076 आराजी राजस्व रिकार्ड में दोहरी प्रविष्ट अंकित कर दी गयी है, जबकि एक ही खातेदार की आराजी है, खातेदार मालिक मथूरा दास उर्फ मालिक माथूर दास पुत्र रामशरण जाति महाजन निवासी फतियाबाद हाल आबाद मकान न0 1261 ब्लॉक एल–1 गली न0 29 संगम विहार नई दिल्ली 110062 द्वारा आराजी खसरा न0 216/0.1600 है0 बारानी दोयम में से 1/4 भाग अर्थात रकबा 0.0400 है0 वाके ग्राम फतियाबाद राजकीय आयुर्वेद औषधालय फतियाबाद तहसील किशनगढबास को दान की गयी है। तहत अदालत द्वारा नामान्तरण संख्या 1775 दर्ज दिनाक 28.10.2024 निर्णय दिनाक 25.11.2024 को खारिज किया गया है, न्यायोचित प्रतीत नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 25.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1775 ग्राम फतियाबास तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है, कि प्रकरण में पुनः जॉच कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही की जाकर मुताबिक दानपत्र के विधिवत पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एंव जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)